न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

उजियारपुर थाना काण्ड सं0 101/19,कम्पयूटर निबंधन सं0 632/19

13.12.19 आवेदक **1. अरविन्द साह,** जो उजियारपुर थाना काण्ड सं0 101/19, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दि0 18.11.19 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को भी दी गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसंने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस झुठे वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दि0 18.11.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–30(a)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त के दरवाजे के कमरे से 750 एम0एल0 का कुल 10 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। अभियोजन की ओर से आपराधिक इतिहास के संबंध में मांगा गया प्रतिवेदन, बार–बार मांग के बावजूद दाखिल नही किया गया है। आवेदक दि0 18.11.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 दस हजार रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। दोनो जमानतदार अभियुक्त का ग्रामीण होगा तथा आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा। कार्यालय लिपिक अनुसंधानकर्ता के विरूद्व कारण–पृच्छा निर्गत करे।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद